41–(08)–92–2019

पटना में दिनांक–24 अक्टूबर, 2019 वृहस्पतिवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

आपदा प्रबंधन विभाग

1. राज्य में वज्रपात के पूर्व चेतावनी प्रणाली की स्थापना हेतु नामांकन (Nomination) के आधार पर अर्थ नेटवर्क (Earth Networks, Inc) एवं कीहू साल्युशॉन्स (Qihou Solution) के साथ सम्पन्न समझौता (MoU) ज्ञापन एवं इसमें होने वाली व्यय की राशि पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृत्ति के संबंध में।

1. स्वीकृत।

कृषि विभाग

2. राज्य स्कीम मद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के कार्यान्वयन के लिए संविदा आधारित नियोजित कर्मियों के लिए नियत वेतन एवं ई०पी०एफ० की राशि, बामेती परिसर का प्रबधंन, सुरक्षा एवं प्रसार कार्यक्रम, किसान उत्पादक संगठन का गठन, फसल अवशेष को जलाने से रोकथाम तथा होर्डिंग लगाने हेतु कुल 4425.40494 लाख रू० (चौआलिस करोड़ पच्चीस लाख चालीस हजार चार सौ चौरानवे) रू० मात्र की लागत पर योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

2. स्वीकृत।

कृषि विभाग

3. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (आत्मा योजना) (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कुल 10019.95 लाख रूपये (एक सौ करोड़ उन्नीस लाख पंचानवे हजार रू० मात्र) केन्द्रांश मद में 6011.968 लाख रूपये (साठ करोड़ ग्यारह लाख छियानवे हजार आठ सौ मात्र) एवं राज्यांश मद में 4007.982 लाख रूपये (चालीस करोड़ सात लाख अंठानवे हजार दो सौ रू०) मात्र की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

3. स्वीकृत।

कृषि विभाग

4. राज्य स्कीम मद से बिहार जलछाजन विकास सोसाईटी के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलछाजन विकास से सम्बद्ध State Level Nodel Agency (SLNA), Watershed Cell-cum-Data Centre (WCDC) एवं Watershed Development Team (WDT) स्तर के कर्मियों की सेवा विस्तार कर उनके मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 के लिए कुल 15,74.66 लाख (पंद्रह करोड़ चौहत्तर लाख छियासठ हजार) रूपये अनुदान की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 3,08.615 लाख (तीन करोड़ आठ लाख एकसठ हजार पांच सौ) रूपये मात्र निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। 4. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

5. बिहार पुलिस में विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम ऊँचाई के पुनर्निधारण हेतु बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। 5. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

6. बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथा संशोधित) में संशोधन हेतु बिहार पुलिस चालक संवर्ग (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रारूप में स्वीकृति के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

7. ERSS (Emergency Response Support System) पूर्व नाम Nationwide Emergency Response System (NERS) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु C-DAC से प्राप्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) के अनुसार गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त राशि ₹12,29,60,000 (बारह करोड़ उनतीस लाख साठ हजार रू०) मात्र का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। 7. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

8. बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 2008 के नियम 8 में संशोधन करने की स्वीकृति के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

10. वित्तीय वर्ष 2019–20 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग के लिए प्राप्त कुल उपबंधित राशि ₹35741.00 लाख (तीन सौ संतावन करोड़ एकतालीस लाख रूपये) के अलावे अतिरिक्त ₹10000.00 लाख (एक सौ करोड़ रूपये) बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति। — **10. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

11. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से 12 प्रतिशत के स्थान पर 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — **11. स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

12. पेट्रोल और डीजल के वैट–दरों में संशोधन के संबंध में। — **12. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

13. बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2019 की स्वीकृति के संबंध में। — **13. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

14. राज्य की 'गंगोता' जाति को उनके आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने हेतु अनुशंसा जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने के संबंध में। — **14. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. सदर अस्पताल, दरभंगा में 100 शैय्या वाले अस्पताल का भवन निर्माण हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–225(10), दिनांक–24.06.2014 से स्वीकृत कुल 26,99,93,047/– रूपये के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन के आलोक में रूपये 45,00,00,000/–(पैंतालीस करोड़ रूपये) का योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — **15. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

16. सात निश्चय अंतर्गत राज्य के तीन जिलों, यथा– बेगूसराय, वैशाली एवं भोजपुर (आरा) तथा केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राज्य के दो संसदीय क्षेत्रों, यथा–सीतामढ़ी एवं झंझारपुर (मधुबनी) में स्थापित किये जाने वाले चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 100 एम०बी०बी०एस० छात्रों के नामांकन क्षमता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (एम०सी०आई०) के मापदण्ड के अनुरूप प्रति चिकित्सा महाविद्यालय 277 एवं प्रति चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के लिए 268 पदों, इस प्रकार प्रति संस्थान 545 (पाँच सौ पैंतालिस) पदों अर्थात् कुल 2725 (दो हजार सात सौ पच्चीस) पदों के सृजन की स्वीकृति। **16. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

17. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल तथा वाणिज्यिक फसल (गन्ना एवं जूट) के उत्पादन कार्यक्रम का चालू एवं अगले वित्तीय वर्षों में योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में केन्द्रांश मद में रूपये 6405.892 लाख (चौसठ करोड़ पाँच लाख नवासी हजार दो सौ), राज्यांश मद में रूपये 4270.595 लाख (बयालिस करोड़ सत्तर लाख उनसठ हजार पाँच सौ) एवं राज्य योजना टॉप अप मद में रूपये 310.792 लाख (तीन करोड़ दस लाख उनासी हजार दो सौ) कुल 10987.279 लाख (एक सौ नौ करोड़ सतासी लाख सताइस हजार नौ सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **17. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस० एल० पी० सं०–204/2010 से उत्पन्न सिविल अपील सं०–857/2016 में दिनांक–03.02.2016 को पारित आदेश के आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह, जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, खगड़िया को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने हेतु दिनांक–06.07.2012 से दिनांक–23.05.2013 तक प्रमंडलीय समादेष्टा (वेतनमान– ₹15600– 39100, पी०बी०–3 + ग्रेड पे ₹6600) के एक अधिसंख्य पद का सृजन। **18. स्वीकृत।**

निर्वाचन विभाग

19. मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी (बी०एल०ओ०) के पारिश्रमिक/मानदेय की राशि दिनांक 01.09.2019 से प्रति बी०एल०ओ० ₹5000/–(पाँच हजार रूपये) प्रति वर्ष से बढ़ाकर ₹6000/–(छः हजार रूपये) प्रतिवर्ष किये जाने के संबंध में।

19. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

20. अनुकम्पा के आधार पर कार्यभारित स्थापना में पथ प्रमंडल, बेतिया में नियुक्त श्री अवध किशोर साह, पथ श्रमिक एवं श्री जवाहर राउत, पथ श्रमिक को कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में करने हेतु पथ श्रमिक के दो पद को कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में इनके सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु जो पहले हो, की अवधि तक के लिए सम्परिवर्तित किये जाने के संबंध में।

20. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

21. पथ प्रमंडल बिहारशरीफ अन्तर्गत पचासा मोड़ से ओपरौरा मोड़ तक के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 5.88 में पथ परत कार्य, Junction Improvement कार्य, विविध कार्य, Boxcell & HP Culvert कार्य, Minor Bridge कार्य, HL Bridge कार्य, मरम्मति कार्य एवं भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु कुल रूपये 12848.835 लाख (एक सौ अठाईस करोड़ अड़तालीस लाख तिरासी हजार पाँच सौ) मात्र पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. वित्तीय वर्ष 2019–20 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्यशीर्ष–3054–सड़क तथा सेतु उप–मुख्य शीर्ष–03–राजकीय राजमार्ग लघु शीर्ष–103– रख–रखाव तथा मरम्मत माँग संख्या–41 उप शीर्ष–0002–अन्य अनुरक्षण व्यय विपत्र कोड–41–3054031030002 विषय शीर्ष–0002.27.02–अनुरक्षण एवं मरम्मत मद में बिहार आकस्मिकता निधि से कुल ₹4,50,00,00,000/–(चार अरब पचास करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति।

22. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

23. पथ प्रमंडल बेनीपुर अन्तर्गत सुपौल (SH-17) से बौड़ाम पथ के कि०मी० 0.00 से 12.220 (कुल लम्बाई 12.220 कि०मी०) में मिट्टी कार्य, PCC कार्य, पथ फर्निचर कार्य, बचाव कार्य, Box Culvert कार्य, Utility Shifting कार्य, विविध कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 3496.99 लाख (चौंतीस करोड़ छियानबे लाख निनयान्वे हजार) रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

23. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

24. मधेपुरा जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–106 हेतु सिंहेश्वर अंचल के मौजा–रूपौली, थाना नं०–22, खाता नं०–2675, खेसरा नं०–17802, रकबा–0.24 एकड़ अनाबाद बिहार सरकार भीठ–2 की भूमि ''यथास्थिति'' में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

24. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. मधेपुरा जिलान्तर्गत एन०एच०–107 (महेशखूँट–सोनवर्षा–सहरसा–मधेपुरा–पूर्णियाँ) पथ निर्माण हेतु कुमारखण्ड अंचल के मौजा–हनुमान नगर चकला, थाना नं०–261, खाता नं०–68, खेसरा नं०–182, रकबा–0.062 हेक्टेयर अनावाद सर्वसाधारण बिहार सरकार की भूमि ''यथास्थिति में'' भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण (N.H.A.I) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

25. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व अंचल के मौजा–मधुबनी, थाना नं०–123/1, वार्ड नं०–11 के खाता नं०–01, खेसरा नं०–219ल० एवं 219श० के अन्तर्गत रकबा क्रमशः 00.370 वर्ग कड़ी एवं 34 डिसमिल 00. 065 वर्ग कड़ी में कुल रकबा–34 डिसमिल 435 वर्ग कड़ी, बिहार सरकार की भूमि किस्म खासमहाल, मौसम विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु 2,60,000/–(दो लाख साठ हजार) रू० मात्र प्रति डिसमिल की दर से मो०–89,53,100/–(नवासी लाख तिरपन हजार एक सौ) रू० मात्र सलामी तथा सलामी के 2 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात मो०–44,76,550/–(चौवालिस लाख छिहत्तर हजार पांच सौ पचास) रू० मात्र पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि–1,34,29,650/–(एक करोड़ चौंतीस लाख उनतीस हजार छः सौ पचास) रू० मात्र के भुगतान के आधार पर मौसम विभाग, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

26. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

28. षोडश बिहार विधान सभा के चतुर्दश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 193वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

30. वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन होने तक स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध सेवा दे रहे 4066 अतिथि शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए निर्धारित पारिश्रमिक भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 50,00,00,000/–(पचास करोड़ रू०) मात्र राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति के संबंध में। **30. स्वीकृत।**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

31. बरौनी उर्वरक प्लान्ट के पुनर्वास हेतु हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लि० (HFCL) के प्रस्तावित 480 एकड़ भूमि को लीज एग्रीमेन्ट के द्वारा 55 वर्षों के लिए हिन्दुस्तान उर्वरक और रसायन लि० (HURL) को अन्तरण किए जाने संबंधी दस्तावेज पर देय मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क की विमुक्ति के संबंध में। **31. स्वीकृत।**

कृषि विभाग

32. राज्य स्कीम मद से कृषि यांत्रिकरण योजना का चालू वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 16351.300 लाख (एक अरब तिरसठ करोड़ इक्कावन लाख तीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय, बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा निर्मित कृषि यंत्रों पर किसानों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के समतुल्य अनुदान दिये जाने की स्वीकृति। **32. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

33. श्री स्नेह पयोधर (बि०न०से०), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी (ग्रेड पे रू० 4600/–सम्प्रति वेतन स्तर–7), नगर पंचायत, कसबा सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय जिला पदाधिकारी, पूर्णियां का कार्यालय) को सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, की शास्ति के संबंध में। **33. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

34. "बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003" (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9(1)(1) को संशोधित करने के संबंध में। — 34. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

35. राज्य में दिनांक–27.09.2019 से 02.10.2019 तक हुई अत्यधिक वर्षापात से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के फलस्वरूप पूर्व के "तत्काल सहायता" अन्तर्गत आच्छादित पंचायतों में अनुग्रहिक राहत (GR) की राशि के वितरण के संबंध में। — 35. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

36. वर्ष 2019 के माह जुलाई एवं सितम्बर में अतिवृष्टि एवं बाढ़ तथा माह अगस्त–सितम्बर, 2019 में अल्पवृष्टि के कारण हुई फसल क्षति के कारण कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान के वितरण की स्वीकृति के संबंध में। — 36. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

37. राज्य स्कीम के अधीन जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बिहार राज्य जैविक मिशन का गठन एवं जैविक कोरिडोर में 12 जिलों में जैविक खेती हेतु अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण की योजना का वित्तीय वर्ष 2019–20 से वर्ष 2021–22 तक तीन वर्षों के लिए कुल 15588.58 लाख (एक सौ पचपन करोड़ अठासी लाख अन्ठावन हजार) रू० की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 4807.26 लाख (अड़तालीस करोड़ सात लाख छब्बीस हजार) रू० की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। — 37. **स्वीकृत।**